



परिपत्र सं. 02 / डोर - 01 / 2021

संदर्भ सं. राबैं.डोर / 862 / ए.1 (जेन) / 2020-21

04 जनवरी 2021

अधक्षक और प्रबंध निदेशक
सभी अनुसूचित वाणिज्यक बैंक

महोदया / प्रिय महोदय

मौसमी कृषि परिचालनों के ऋण हेतु प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के वित्तपोषण हेतु वाणिज्य बैंकों को नाबार्ड से पुनर्वित्त सहायता का प्रावधान - 2020-21

जैसे कि आप जानते हैं, मौसमी कृषि परिचालनों के ऋण के लिए नाबार्ड द्वारा ऐसे क्षेत्रों में जहाँ मध्यवर्ती सहकारी बैंक कमजोर है अथवा समितियों को पर्याप्त रूप से ऋण देने की स्थिति में नहीं है, वहाँ मौसमी कृषि परिचालनों हेतु सीडेड पैक्स को ऋण वितरण के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को अल्पावधि पुनर्वित्त सहायता प्रदान की जाती है। नाबार्ड द्वारा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को नाबार्ड अधिनियम 1981 की धारा 21(1) और धारा 21(4) के तहत अल्पावधि ऋण सीमाएं मंजूर की जाएंगी। इसके लिए बैंकों को प्रोमिसरी नोट प्रस्तुत करने होंगे और नाबार्ड द्वारा यथा वांछित लिखित रूप में एक घोषणा पत्र देना होगा जिसमें बैंकों को उन उद्देश्यों, जीने के लिए ऋण और अग्रिम दिये गए हैं, का विवरण तथा अन्य कारण देने होंगे। इसके परिणामस्वरूप पैक्स द्वारा अपने सदस्यों के मौसमी कृषि परिचालनों हेतु ऋण वितरण के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंक ऋण सीमाएं मंजूर करेंगे।

2. पुनर्वित्त की मात्रा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा पैक्स के लिए वास्तविक ऋण वितरण कार्यक्रम (आरएलपी) का अधिकतम 40% होगी। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा आरएलपी की गणना अल्पावधि (मौकूप) ऋण सहायता देने के लिए पहचाने गए पैक्स द्वारा वितरित किए जाने वाले संभावित फ़सली ऋण के आकलन के आधार पर की जाएगी।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को पुनर्वित्त 4.5% प्रति वर्ष की वर्तमान ब्याज दर पर उपलब्ध होगा, जोकि भविष्य में संशोधन की शर्त के आधीन है। ₹ 3.00 लाख तक के फ़सली ऋण के लिए अंतिम उधारकर्ता पर प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर 7% प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। पैक्स के वित्तपोषण के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को दी जाने वाली अलापवधि मौकूप ऋण सीमा पर लागू पात्रता मानदंडों आदि सहित नीतिगत दिशानिर्देश और नियम एवं शर्तें अनुबंध 1 और 11 में दी गई हैं।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

पुनर्वित्त विभाग

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: dor@nabard.org

Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325 • Fax: +91 22 26530090 • E-mail: dor@nabard.org

गाँव बढ़े >> तो देश बढ़े

www.nabard.org

Taking Rural India >> Forward

4. कृपया इस पत्र की पावती दें.

भवदीय

एल. आर. रामचन्द्रन

(एल आर रामचन्द्रन)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक : यथोक्त

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

पुनर्वित्त विभाग

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: dor@nabard.org

Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325 • Fax: +91 22 26530090 • E-mail: dor@nabard.org

गाँव बढ़े >> तो देश बढ़े

www.nabard.org

Taking Rural India >> Forward

अनुबंध Annexure I

मौसमी कृषि परिचालनों के ऋण हेतु प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) / संबद्ध समितियों के वित्तपोषण हेतु वाणिज्य बैंकों को नाबार्ड से अल्पावधि पुनर्वित्त सहायता का प्रावधान - वित्तीय वर्ष 2020-21 की नीति

Provision of Short Term refinance by NABARD to Scheduled Commercial Banks for financing PACS/Ceded Societies for lending for Seasonal Agricultural Operations –Policy for F.Y. 2020-21

I. अल्पावधि मौसमी कृषि ऋण परिचालन सीमा की परिचालन अवधि Operative Period of ST (SAO) limit

अल्पावधि मौसमी कृषि ऋण परिचालन सीमा की परिचालन अवधि 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक एक वर्ष के लिए होगी।

The operative period of ST SAO limit will be for a year from 01 April 2020 to 31 March 2021.

II. ऋण सीमा की स्वीकृति Sanction of limit

कमजोर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों अथवा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को पर्याप्त ऋण प्रदान न कर पाने की स्थिति में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को मौसमी कृषि परिचालनों के लिए वित्तपोषण हेतु अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी वचन पत्रों के समक्ष राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 21(1) और 21(4) के अधीन ऋण सीमा की स्वीकृति दी जाएगी। इसके लिए उन्हें लिखित में दिए गए ऋण के प्रयोजनों की घोषणा करनी होगी। अनुसूचित वाणिज्य बैंक प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को ऋण सीमाओं की स्वीकृति देंगे, दूसरी ओर प्राथमिक कृषि ऋण समितियां अपने सदस्यों का वित्तपोषण करेंगी।

The limit will be sanctioned to Scheduled Commercial Banks for financing PACS for lending to Seasonal Agricultural Operations, wherever CCBs are weak or not in a position to lend to PACS adequately under Section 21(1) and Section 21(4) of the NABARD Act 1981 **against promissory notes of** Scheduled Commercial Bank subject to the Bank furnishing a declaration in writing setting out the purpose for which they have made loans and advances (and such other particulars as may be required by NABARD). Scheduled Commercial Banks will in turn sanction credit limits to PACS. In turn, the PACS would finance its members.

III. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए पात्रता मानदंड Eligibility Norm for Scheduled Commercial Bank:

- ❖ हमारी दीर्घावधि पुनर्वित्त सहायता के लिए अन्यथा पात्र अनुसूचित वाणिज्य बैंक इस योजना के अंतर्गत अल्पावधि-मौसमी कृषि परिचालन पुनर्वित्त सहायता के लिए पात्र होंगे।
Scheduled Commercial Banks otherwise eligible to receive our long term refinance would be eligible to get ST-SAO refinance under this scheme.
- ❖ पुनर्वित्त की प्रमात्रा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को अनुसूचित वाणिज्य बैंक के वास्तविक ऋण कार्यक्रम (आरएलपी) के अधिकतम 40% तक सीमित होगी। अनुसूचित वाणिज्य बैंक के वास्तविक ऋण कार्यक्रम (आरएलपी) का आकलन अल्पावधि-मौसमी कृषि परिचालन

ऋण सहायता हेतु पहचान किए गए प्राथमिक कृषि ऋण परिचालन द्वारा दिए जाने वाले फसल ऋणों के आधार पर किया जाएगा.

Quantum of refinance will be subject to maximum limit of 40% of Realistic Lending Programme (RLP) of the Scheduled Commercial Bank to the PACS. RLP of Scheduled Commercial Bank may be arrived at on the basis of assessment of crop loans likely to be disbursed by the PACS identified for extending the ST SAO credit support.

IV. उप ऋण सीमाओं की स्वीकृति **Sanction of sub limits**

अल्पावधि (मौसमी कृषि परिचालन) के अधीन (क) अन्य फसलों की खेती (ओसी); (ख) राष्ट्रीय तिलहन और ऑयलपाम मिशन (एनएमओओपी तिलहन) के अधीन तिलहनों की खेती; (ग) पहचान किए गए ज़िलों में राष्ट्रीय खाद्य मिशन - दलहन (एनएफएसएम दलहन) के अधीन दलहन की खेती; और (घ) अनुसूचित जनजाति आबादी विकास (डीटीपी) के अधीन नाबार्ड उत्पादन ऋण आवश्यकताओं के लिए अलग-अलग उप-सीमाओं की ऋण स्वीकृति प्रदान करेगा.

Separate sub-limits under ST(SAO) credit limits for financing (a) cultivation of other crops (OC); (b) cultivation of oil seeds under National Mission on Oil seeds and Oil Palm (NMOOP_Oilseeds) in the identified districts (c) cultivation of pulses under National Food Security Mission-Pulses (NFSM_Pulses) in the identified districts; and (d) production credit requirements of tribals under Development of Tribal population (DTP) would be sanctioned by NABARD.

V. ब्याज दर **Rate of Interest**

पुनर्वित्त पर ब्याज की दर 4.5% प्रति वर्ष होगी. इसमें भविष्य में संशोधन किया जा सकता है. प्रति उधारकर्ता 7% प्रति वर्ष की दर से स्वयं की सहभागिता से रु.3.00 लाख तक के ऋण देने के लिए सहमत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को ही यह रियायती पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध होगी. संबंधित प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के साथ सलाह करके अनुसूचित वाणिज्य बैंक मार्जिन की हिस्सेदारी पर निर्णय कर सकते हैं.

The rate of interest on refinance would be at 4.5% per annum, subject to revision in future. The concessional refinance will be available only to those Scheduled Commercial Banks which together with their own involvement, agree to ensure the provision of crop loans upto Rs.3.00 lakh per borrower at 7% p.a. or less. Sharing of margins may be decided by the Scheduled Commercial Bank in consultation with the concerned PACS.

VI. अतिरिक्त आहरण **Excess drawal**

फसल ऋण संवितरण के संबंध में असत्य जानकारी की रिपोर्टिंग की वजह से स्वीकार्य पुनर्वित्त प्रमात्रा से अधिक आहरण को नाबार्ड गंभीरता से लेगा और अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा ली गई अतिरिक्त पुनर्वित्त सहायता लौटाने की मांग कर सकता है अथवा आगे पुनर्वित्त सहायता बंद कर सकता है.

NABARD would take a serious view in case of availment of drawals beyond permissible quantum of refinance on account of reporting of incorrect data about crop loan disbursement by calling back the excess refinance availed by the Scheduled Commercial bank and/or stop further refinance.

VII. अनतिदेय कवर NODC

नाबार्ड प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के स्तर पर कुल अनतिदेय कवर के आधार पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को ऋण सीमा की स्वीकृति देगा. अनतिदेय कवर में कमी के लिए अनतिदेय की कमी की राशि अनतिदेय कवर नियमित किए जाने की अवधि के लिए 1% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज लगाया जाएगा.

Drawals on the sanctioned limit would be permitted by NABARD to Scheduled Commercial Banks on the basis of aggregate NODC at PACS level. Additional interest at 1% p.a. will be charged on the deficit in the NODC for the duration of deficit i.e. till the date on which the amount of deficit is regularized.

अनुबंध Annexure II

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों/ संबद्ध (सीडेड) समितियों के वित्तपोषण हेतु अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को पुनर्वित्त सहायता के लिए नियम व शर्तें :

Terms and Conditions for providing of refinance to Scheduled Commercial Banks for financing to PACS/Ceded Societies:

1. ऋण सीमा की परिचालन अवधि 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक एक वर्ष के लिए होगी.

The credit limit(s) sanctioned is/are operative from 01 April 2020 upto 31 March 2021.

2. स्वीकृत ऋण सीमा अल्पवधि ऋण सुविधा के रूप में होगी और अनुसूचित वाणिज्य बैंक चाहे जितनी बार आहरण तथा इसकी चुकौती कर सकता है बशर्ते इस वर्ष विशेष में स्वीकृत ऋण सीमा से अधिक बकाया नहीं होना चाहिए.

The credit limit sanctioned is in the nature of short term credit accommodation and the Scheduled Commercial Bank may draw and repay as many times as required, provided the outstanding in account does not exceed the sanctioned credit limit for that particular year.

3. केवल 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को दिए गए नए ऋण अल्पवधि-मौसमी कृषि परिचालन ऋण सीमा के अधीन पुनर्वित्त के लिए पात्र होंगे.

Only fresh advances made to the PACS from 1st April 2020 to 31 March 2021 would be eligible for refinance under ST SAO credit limit.

4. बैंक सुनिश्चित करेंगे कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियां फसल ऋणों के लिए ऋण प्रदान करते हैं और आहरण आवेदन के साथ इस आशय का प्रमाणपत्र नाबार्ड को प्रस्तुत करना होगा.

The Bank would ensure that the loans are provided for Crop loaning purpose by PACS and a certificate to that effect would be submitted to NABARD along with the drawal application.

5. बहियों में बकाया शेष का मांग पर चुकौती-योग्य होगी. ऋण सीमा के समक्ष प्रत्येक आहरण को एक अलग ऋण समझा जाएगा और आहरण की तिथि के बाद इसकी 12 महीने के भीतर चुकौती करनी होगी. नाबार्ड को किसी भी समय दिए गए ऋण को वापस मांगने का अधिकार होगा. तथापि प्रत्येक आहरण की तिथि के बाद 12 महीने की अवधि के भीतर इस अधिकार का प्रयोग सामान्यतः नहीं किया जाएगा.

The outstanding balance in the accounts are repayable on demand. Each drawal on the credit limit would be treated as separate loan and would be repayable within a period of 12 months from the date of drawal. NABARD, without prejudice to its right to recall the advances at any time, may not ordinarily exercise this right, for a period of 12 months from the date of each drawal.

6. अनुसूचित वाणिज्य बैंक को खाते में बकाया शेष राशि पर नाबार्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित ब्याज दर से छमाही आधार पर ब्याज का भुगतान करना होगा. प्रत्येक छमाही के अंत में 01 अक्टूबर

और 01 अप्रैल को अथवा जब बकाया शेष की पूर्ण चुकौती करते समय, इस प्रकार से ब्याज देय होगा.

The Scheduled Commercial Bank shall pay interest on half yearly rests on the outstanding balance in the account at the rate as may be prescribed by NABARD from time to time. Such interest shall be payable at the end of each half year as 01 October and 01 April or earlier when the outstanding balance is repaid in full.

7. ऋण की या इसके किसी भाग की चुकौती और ब्याज या इसके किसी भाग के भुगतान में अनुसूचित वाणिज्य बैंक के चूक करने की स्थिति में चूक की अवधि के लिए चूक की राशि पर अनुसूचित वाणिज्य बैंक को 10% प्रति वर्ष की दर से नाबार्ड को भुगतान करना होगा. दंडात्मक ब्याज दर में समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है.

In the event of default by the Scheduled Commercial Bank in repayment of loans or any part thereof and in the event of default in payment of interest or any portion thereof on due date, the Scheduled commercial bank will be liable to pay to NABARD interest on amount of default @ 10% p.a. for the period for which the default persists. The penal interest rates are subject to revision from time to time.

8. ऋण सीमा की स्वीकृति संबंधी किसी नियम व शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा करार के निष्पादित किए जाने के बावजूद नाबार्ड स्वीकृत ऋण सीमा के अधीन बकाया ऋण या इसके किसी अंश को लौटाने की मांग कर सकता है अथवा आगे आहरण रोक सकता है.

Notwithstanding the agreement signed by Scheduled Commercial Bank, it will be open to NABARD to recall the loans outstanding under the credit limit(s) sanctioned or any portion thereof or stop allowing further draws in the event of violation of any of the conditions governing the sanction of credit limits(s).

9. अनुसूचित वाणिज्य बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा इस ऋण सीमा के अधीन प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को दिए गए ऋण और बकाया, नाबार्ड को बकाया राशि से किसी भी समय कम नहीं होंगे.

The Scheduled Commercial Bank shall ensure that loans and advances made by the Scheduled Commercial Bank and outstanding against PACS under this credit limit are at no time less than the amount outstanding to NABARD under the respective limit.

10. नाबार्ड को उपर्युक्त स्वीकृति के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण समिति और व्यक्तिगत उधारकर्ता को दी गई वित्तीय सहायता के बही खातों और अन्य अभिलेखों की जांच का अधिकार होगा.

NABARD shall be entitled to have access to the Books of Accounts and other records of the Scheduled Commercial Bank, the PACS and the individual borrower availing of financial accommodation under the above sanction.

11. अनुसूचित वाणिज्य बैंक के मूलधन की चुकौती, ब्याज के भुगतान और/ अथवा नाबार्ड द्वारा किसी भी सुविधा के अधीन स्वीकृत ऋण के अधीन देयताओं की चूक करने पर नाबार्ड को अनुसूचित वाणिज्य बैंक को आगे ऋण देना बंद करने का अधिकार होगा.

NABARD reserves the right to stop making further advances to the Scheduled

Commercial Bank when the credit limit sanctioned has not been fully drawn, if the Bank defaults in repayment of principal, payment of interest and/or any other dues under any line of credit sanctioned by NABARD.
